फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2021/394 बउनवान वीराराम बनाम तहसीलदार बाली
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अप्रार्थी तहसीलदार बाली द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का जवाव पेश नहीं करने से इस स्टेज पर अप्रार्थी का जवाब अवसर बंद करते हुये उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात ज्ञात है कि ग्राम कोठार के हाल खसरा नंबर 683 रकबा 14.77 हैक्टर किस्म बारानी तृतीय राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज हैं। प्रार्थी ने दिनांक 18.07.80 को पुराने खसरा नंबर 103 में आवंटित 15 बीघा भूमि के तुल्य 2.40 हैक्टर भूमि पर स्थगन की मांग इस आधार पर की गई है कि प्रार्थी वक्त आवंटन से वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त होते हुये भू-प्रबंध पश्चात के अधिकार अभिलेखों में भूमि सिवायचक दर्ज करने से अप्रार्थी तहसीलदार बाली व उसके प्रतिनिधियों द्वारा धारा 91 एलआर एक्ट के तहत कार्यवाही कर बेदखली की धमकी देने से प्रार्थी के पास वाद प्रस्तुति के अलावा कोई जरिया नहीं होने से घोषणा खातेदारी का वाद पेश किया है। जिसके निस्तारण में समय लगेगा। अतः वाद के निर्णय तक रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की मांग की जा रही है। परंतु प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि ग्राम दूदनी के पुराने खसरा नंबर 103 की भूमि राजकीय सिवायचक दर्ज थी तथा उससे मौका स्थिति अनुसार भू-प्रबंध बाद कायम नये खसरा नंबर 683 रकबा 14.77 हैक्टर राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। भूमि भू-प्रबंध पूर्व के अधिकार अभिलेखों में सिवायचक दर्ज थी तथा वर्तमान में भी हाल खसरा नंबर 683 राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। वकील प्रार्थी वादग्रस्त भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में विवादित साक्ष्य पेश नहीं कर पाये है। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

Scanned with CamScanner